रजिस्टर्ड नं० HP/13/SMI/2003.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 22 मार्च, 2004/2 चैत्र, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

बिलासपुर, 10 मार्च, 2004

संख्या वी० एल० पी०-पंच-1011-15.—यह कि श्रीमती मीरा देवी, सदस्य ग्राम पंचायत सुई-सुरहाड़, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि० प्र०) के ग्राम पंचायत सुई-सुरहाड़ के परिवार रजिस्टर भाग-I की प्रमाणित प्रति अनुसार चार संतानें हैं जिसमें से चौथी संतान लड़का दिनांक 23-2-2002 को पैदा हुआ है ।

और यह कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ण) के प्रावधान अनुसार कोई व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए निरर्हित होगा :—

(ण) "यदि उसके दो से अधिक संतान हैं । परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निरर्हता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके, मथास्थिति, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम,

2000 के आरम्भ होने की तारीख पर या ऐसे आरम्भ के एक वर्ष की अवधि के भीतर दो से अधिक जीवित सन्तान हैं, जब तक उसकी एक वर्ष की अवधि के पश्चात और संतान नहीं होती" ।

और यह कि उक्त श्रीमती मोरा देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत सुई-सुरहाड़, के हिमाचल प्रदेश, पंचायती रा : (संशोधन) अधिनियम, 2000 के संख्या 18 के दिनांक 8-6-2001 से लागू होने के उपरांत दिनांक 23-2-2002 को चौथी सन्तान पैदा हुई है जिसके फलस्वरूप उक्त श्रीमती मोरा देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत सुई-सुरहाड़, हिमा ल प्रदेश, पं यती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ण) के प्रावधानानुसार पंचायत पदाधिकारी होने के योग्य नहीं रहता ।

अतः मैं, सुभाषीश पण्डा, उपायुक्त बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (2) (ii) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती मोरा देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत सुई-सुरहाड़, को एतद्द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं तथा उन्हें अवसर प्रदान करता हूं कि वह इस नोटिस के जारी होने के एक सप्ताह के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (क) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

बिलासपुर, 12 मार्च, 2004

संख्या बी0 एल0 पी0-पंच-4-67/68-11-1016-21.—क्योंकि श्री ज्ञान सिंह उप-प्रधान, ग्राम पंचायत मल्यावर, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर ने सरकारी भूमि खसरा नं0 937 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा स्थित गांव मल्यावर, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर ने अबैध कब्जा कर रखा है, जिसकी पुष्टि उसके द्वारा तहसीलदार घुमारवीं को दिए गए भूमि के नियमितिकरण के लिए आवेदन दिनांक 14-8-2002 से होती है ।

और क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 122 (1) (ग) के प्रावधान अनुसार कोई व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए निरर्हित होगा :—

(ग) यदि उसने राज्य सरकार, नगरपालिका, पंचायत या सहकारी सोसाइटी की या उस द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर ली गई या अधिकृत किसी भूमि का अधिक्रमण किया है, जब तक कि उस तारीख से जिसको उसको बेदखल किया गया है, छः वर्ष की अवधि बीत न गई हो तो या वह अधिक्रान्ता न रहा हो, या ।

और क्योंकि उक्त श्री ज्ञान सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत मल्यावर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ग) के प्रावधानानुसार पंचायत पदाधिकारी होने के योग्य नहीं है ।

अतः मैं, सुभाषीश पांडा, उपायुक्त बिलासपुर, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ग) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री ज्ञान सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत मल्यावर को एतद्द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि क्यों न उन्हें उप-प्रधान के पद के लिए अयोग्य घोषित करते हुए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 131 के अन्तर्गत उनके पद को रिक्त घोषित किया जाए । वे दिनांक 20-3-2004 को समय 11.00 बजे इस कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी को मौखिक/लिखित रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) (क) (2) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

सुभाषीश पांडा,
उपायुक्त,
जिला बिलासपुर ।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

अधिसूचना

चम्बा, 8 मार्च, 2004

संख्या एफ0 डी0 एस0-चम्बा (आपूर्ति)-04-793-40.—इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ0 डी0 एस0-चम्बा-03-377-432, दिनांक 3-2-2004 की निरन्तरता में तथा हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश, 1977 की धारा 3 (1) (ई) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राहुल आनन्द, भा0 प्र0 से0, जिला दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा आदेश जारी करता हूं कि उपरोक्त अधिसूचना आगामी दो मास तक पूरे चम्बा, जिला चम्बा में लागू रहेगी।

राहुल आनन्द (भा0 प्र0 से0),
जिला दण्डाधिकारी, चम्बा,
जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

कार्यालय उपायुक्त, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

हमीरपुर, 1 मार्च, 2004

संख्या पंच-हमीर(अग्घार)-513-17.—यह कि ग्राम पंचायत अग्घार, विकास खण्ड भोरन्ज के अवधि 1-4-2001 से 31-3-2003 तक के अंकेक्षण पत्र में उद्धृत गम्भीर आपत्तियों, जिनका विवरण इस कारण बताओ नोटिस के साथ संलग्न आरोप सूची में दिया गया है, सामने आई है। इन गम्भीर आपत्तियों पर श्रीमती सलोचना देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत अग्घार के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 व 146 के अधीन कार्यवाही की जानी बनती है।

अतः इससे पूर्व कि संलग्न सूची में दर्ज आरोपों के आधार पर श्रीमती सलोचना देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत अग्घार के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 व 146 के अधीन कार्यवाही की जाये। मैं, देवेश कुमार (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (2) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीमती सलोचना देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत अग्घार, विकास खण्ड भोरन्ज को नोटिस देता हूं कि वह संलग्न सूची में दर्ज आरोपों बारे अपना उत्तर स्पष्टीकरण नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर-भीतर खण्ड विकास अधिकारी, भोरन्ज के माध्यम से जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर को प्रस्तुत करें। विहित अवधि के भीतर उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (1) (बी) व 146 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142 के अधीन उनके खिलाफ आगामी कार्यवाही कर दी जायेगी।

देवेश कुमार,
उपायुक्त,
हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

श्रीमती सलोचना देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत, अग्घार, विकास खण्ड भोरन्ज के विरुद्ध ग्राम पंचायत अग्घार के अंकेक्षण पत्र अवधि 1-4-2001 से 31-3-2003 तक के आधार पर जारी आरोप सूची

आरोप सं0 1.—अंकेक्षण पैरा सं0 2(ख) 7 अनुसार वाऊचर संख्या 86, दिनांक 22-1-2002, रोकड़ पृष्ठ 62 पर मानदेय पदाधिकारी वितरण मु0 2,100/- रुपये दर्ज है। परन्तु श्रीमती सुखां देवी व श्री रवि कुमार, पंचायत सदस्यों के हस्ताक्षर न पाए गए जबकि इनके नाम की अदायगी 300/-, 300/- रुपये रोकड़ में दर्ज व्यय राशि 2100/- रुपये में शामिल है। इस तरह प्रधान ने पंचायत सचिव (श्री रमेश चन्द) के साथ मिलकर इस राशि मु0 600/- रुपये का गबन किया है।

आरोप सं0 2.—अंकेक्षण पत्र के पैरा सं0 2(ख) 9 अनुसार वाऊचर संख्या 43, दिनांक 26-9-2002 के तहत रोकड़ पृष्ठ 77 पर पहचान पत्र बनाने वाले 6 कर्मचारियों के भोजन का व्यय मु0 1,440/- रुपये डाला गया है। यह व्यय अवैध रूप से किया गया। जिसके लिए प्रधान श्रीमती सलोचना देवी व पंचायत सचिव (रमेश चन्द) उत्तरदायी हैं।

आरोप सं0 3.—अंकेक्षण पत्र के पैरा सं0 2(ख) 10 अनुसार वाऊचर सं0 64, दिनांक 21 11-2002 मस्ट्रौल मुरम्मत पंचायत घर मु0 1,805/- रुपये में परमा नन्द पुत्र वर्फी व राम रखा पुत्र थेलिया राम को दिनांक 5-11-2002 से 14-11-2002 तक कार्य पर दर्शाया। यही व्यक्ति वाऊचर सं0 60 पर दिनांक 5-11-2002 से 10-11-2002 तक कार्य पर दर्शाये गए हैं। इस तरह इन दोनों व्यक्तियों को एक ही समय में 2 भिन्न-भिन्न कार्यों पर उपस्थित दिखाकर सरकारी धन मु0 1,805/- रुपये का गबन किया है। जिसके लिए प्रधान श्रीमती सलोचना देवी व पंचायत सचिव समान रूप से उत्तरदायी हैं।

आरोप सं0 4.—अंकेक्षण पत्र के पैरा सं02(ख) 11 अनुसार वर्ष 2001-2002 में राशन कार्डों की बिक्री से केवल 520/- रुपये आय हुई जबकि व्यय 850/- रुपये किया था। इस तरह मु0 330/- रुपये की क्षति पंचायत निधि को पहुंचाई है, जिसके लिए प्रधान श्रीमती सलोचना देवी उत्तरदायी है।

आरोप सं0 5.—अंकेक्षण पत्र के पैरा सं0 8(1) अनुसार ग्रामीण ढांचे के रख-रखाव के तहत निम्न प्रकार से व्यय डाला गया है :—

वाऊचर संख्या	दिनांक	रोकड़ पृष्ठ	विवरण		रुपये
65	8-11-2001	58	10 ट्राली गोला पत्थर टूटे फूटे रास्ते।	..	मु0 6,000/-
66	8-11-2001	58	ढुलाई गोला पत्थर	..	मु0 1,100/-
66	16-12-2002	84	8 ट्राली वोल्डर पत्थर	..	मु0 3,200/-
67	16-12-2002	84	ढुलाई मटीरियल	...	मु0 800/-
68	16-12-2002	—	2 ट्राली बजरी	..	मु0 800/-
			योग	..	11,900/-

इस सामान का स्टॉक इन्द्राज नहीं हुआ है न ही कार्य की मूल्यांकन रिपोर्ट मौजूद है। इस व्यय में स्कीम का व्यय भी नहीं लिखा है न ही इसका बजट में कोई प्रावधान था। इस तरह यह व्यय मिथ्या प्रतीत होता है। इसके लिए प्रधान श्रीमती सलोचना देवी व पंचायत सचिव (श्री रमेश चन्द) उत्तरदायी हैं।

आरोप सं0 6.—अंकेक्षण पत्र के पैरा सं0 8(4)(1) अनुसार दिनांक 3-9-2002 को चैक नं0 320470 द्वारा मु0 1,300/- रुपये बैंक खाता से निकाले हैं परन्तु इस राशि का रोकड़ में इन्द्राज नहीं हुआ था। जिसके लिए प्रधान श्रीमती सलोचना देवी व पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। क्योंकि राशि का इन्द्राज न करके इसका छलहरण किया गया।

आरोप सं0 7.—अंकेक्षण पत्र के पैरा सं0 8(5) अनुसार वाऊचर सं0 6 व 11, दिनांक 3-9-2002 के तहत 15-15 बैग सीमेन्ट की अदायगी क्रमशः 2415/-, 2415/- रुपये रोकड़ स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना दर्ज है। वाऊचर अनुसार यह राशि प्रधान ने प्राप्त की है, जो अनुचित एवं राशि छलहरण का मामला है। प्रधान सीमेन्ट की विक्रेता न थी। जिसके लिए प्रधान श्रीमती सलोचना देवी व पंचायत सचिव (रमेश चन्द) उत्तरदायी हैं।

आरोप सं0 8.—अंकेक्षण पत्र के पैरा सं0 8(7) अनुसार ग्राम सभा ने प्रस्ताव सं0 6, दिनांक 7-10-2001 में प्रा0 पा0 नाहलवों, मु0 20,000/- व धनवीं मु0 12,000/- रुपये का कार्य कराने का शैल्क 11वां वित्तायोग में पारित किया था परन्तु पंचायत प्रधान ने प्रस्ताव सं0 6, दिनांक 15-12-2001, जो अवैध है, के तहत पंचायत घर की उपरली मंजिल हेतु इस राशि को व्यय किया। यह ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र की उलंघना का मामला है जिसके लिए श्रीमती सलोचना देवी प्रधान दोषी है।

आरोप सं0 9.—अंकेक्षण पत्र में दर्ज उक्त वर्णित आपत्तियों बारे ग्राम पंचायत अग्घार का रिकार्ड तलब कर जांचने पर यह पाया गया कि कार्यवाही रजिस्टर में लिखी गई कार्यवाही में अन्य प्रस्ताव बाद में जोड़े गए। इस तरह रिकार्ड में छेड़-छाड़ की गई है। जिसके लिए प्रधान श्रीमती सलोचना देवी व पंचायत सचिव (रमेश चन्द) उत्तरदायी हैं। विवरण इस प्रकार है :—

1.	कार्यवाही दिनांक 1-7-2001	प्रस्ताव सं0 10	(ग्राम पंचायत अग्घार, टीका अग्घार में निशान देही हेतु)।
2.	-उक्त-	,,	रास्तों की मुरम्मत बारे

देवेश कुमार,
उपायुक्त,
हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

धर्मशाला, 4 मार्च, 2004

संख्या पंच के0 जी0 आर0-ई0 (20) 60/91-1187-92.—श्री रघुवीर सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत अमरोह, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के विरुद्ध शिकायत श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री कृष्ण चन्द, गांव खारियां, डाकघर अमरोह, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा ने की थी जिस पर उप निदेशक, पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 द्वारा जांच की गई है। जांच रिपोर्ट की समीक्षा करने पर प्रधान ग्राम पंचायत अमरोह ने आरोप नं0 1 में राशि मु0 1380/- रुपये का गबन किया है। आरोप नं0 2 मु0 44,000/- रुपये राशि का दुरुपयोग किया है। तदोपरान्त श्री रघुवीर सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत अमरोह, विकास खण्ड प्रागपुर को इस कार्यालय के आदेश संख्या पी0 सी0 एच0-के0 जी0 आर0 ई0 (20) 60/91-8875-78 दिनांक 17-12-2003 द्वारा कारण बताओ नोटिस तथा दोषारोपण सूची जारी किये गये थे। जिनका उत्तर

खण्ड विकास अधिकारी, प्रागपुर के पत्र सं0-5078, दिनांक 14-1-2004 द्वारा प्राप्त हुआ है, जो कि समीक्षा करने उपरान्त असन्तोषजनक पाया गया है। इस प्रकार श्री रघुवीर सिंह का ग्राम पंचायत अमरोह के प्रधान पद पर बने रहना जनहित में नहीं है।

अत: मैं, एच0 आर0 शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (2) व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 142 (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रघुवीर सिंह को ग्राम पंचायत अमरोह के प्रधान पद से तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूं तथा उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वह प्रधान पद का समस्त कार्यभार उप-प्रधान पंचायत को तुरन्त सौंप दें तथा किसी भी प्रकार की चल-अचल सम्पत्ति यदि उनके पास हो तो वह भी ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी को सौंप दें।

एच0 आर0 शर्मा,
जिला पंचायत अधिकारी,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।

कार्यालय जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक, रिकांग पिओ, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

रिकांग पिओ, 26 फरवरी, 2004

संख्या एफ0 डी0 एस0-कैनर (ई) 1/82-5-4101-4142.—इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ0 डी0 एस0-कैनर (ई)-5-12-1/82-3456-96, दिनांक 4-12-2003 की निरन्तरता में तथा हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी निरोधक आदेश, 1977 की धारा 3 (1) (ई) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मनीष गर्ग (भा0प्र0से0), जिला दण्डाधिकारी, जिला किन्नौर स्थित रिकांग पिओ आदेश जारी करता हूं कि उपरोक्त अधिसूचना द्वारा निर्धारित आवश्यक वस्तुओं के मूल्य आगामी दो मास तक पूरे किन्नौर जिला में लागू रहेंगे।

मनीष गर्ग,
(भा0प्र0से0),
जिला दण्डाधिकारी, जिला किन्नौर,
स्थित रिकांग पिओ (हि0प्र0)।

कार्यालय उपायुक्त ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)

कारण बताओ नोटिस

ऊना, 9 मार्च, 2004

क0मं0पंच ऊना (निर्वाचन) 2003-1975-1979.—यह कि श्रीमती प्रवीन कुमारी धर्मपत्नी श्री सुरिन्द्र कुमार सदस्य वार्ड नं0 7 ग्राम पंचायत टक्का, विकास खण्ड ऊना (हि0प्र0) का ध्यान हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) की ओर आकृष्ट किया जाता है जोकि निम्न प्रकार से है। (ण) यदि उसके 2 से अधिक जीवित सन्तान हैं परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निहर्रता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके यथास्थिति हि0प्र0 पंचायती राज संशोधन अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख पर या ऐसे आरंम्भ के एक वर्ष की अवधि के पश्चात सौर सन्तान नहीं होगी।

अतः क्योंकि हि0 प्र0 पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 2000, दिनांक 8-6-2001 से प्रभावी है । खण्ड विकास अधिकारी ऊना से प्राप्त पत्र संख्या 320 दिनांक 27-2-2004 की समीक्षा करने पर श्रीमती प्रवीण कुमारी पंच वार्ड नं0 7 ग्राम पंचायत टक्का खण्ड विकास ऊना के दिनांक 21-11-2001 को तीसरा बच्चा पैदा हुआ है । मकान संख्या 513 परिवार रजिस्टर भाग-1 के क्रमांक 7 पर दर्ज है । इस सम्बन्ध में स्थानीय पंजीयक जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत टक्का द्वारा जारी प्रमाण-पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है । जिसके कारण हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1)(ण) के प्रावधानानुसार पंच पद पर बने रहने के आप अयोग्य हो चुके हैं ।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि उपरोक्त वर्णित अयोग्यता के दृष्टिगत क्यों न आपके विरुद्ध हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जावे ।

रजनीश (भा0 प्र0 से0),
उपायुक्त,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश; शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित